राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1782/2019

रामसनेही **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.07.2019
आदेश की दिनांक : 05.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1997 में आदेश दिनांक 10.02.1997 (अनुलग्नक–1) द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई थी। अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति पर विचार करने हेतु पात्र है। अपीलार्थी वर्ष 2006 में राजस्थान विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण किया है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंक तालिका अनुलग्नक–2 पर अवलोकनीय है। अपीलार्थी ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर योग्यता को सेवा पुस्तिका में दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 21.04.2016 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 की रिक्ति के विरुद्ध अध्यापक ग्रेड–II अंग्रेजी के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि उसके कनिष्ठों को अपीलार्थी से पहले वर्ष 2012–13 में अध्यापक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया था। इस संबंध में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 17.12.2014 (अनुलग्नक–5) प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा अनिल कुमार नामक व्यक्ति को रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी 1997 में नियुक्त व्यक्ति है जबकि उक्त अनिल कुमार 1998 में नियुक्त होने से अपीलार्थी से कनिष्ठ है। एक अन्य व्यक्ति श्री सब्बीर खान जो अपीलार्थी का बैचमेट है और अपीलार्थी से कनिष्ठ है लेकिन आदेश दिनांक 17.12.2014 (अनुलग्नक–6) द्वारा वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद उसे वर्ष 2014–15 की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है जबकि कनिष्ठ व्यक्तियों को अपीलार्थी से पहले पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने बार–बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किए एवं नवीनतम अभ्यावेदन दिनांक 25.06.2018 को प्रस्तुत किया, लेकिन अपीलार्थी के

अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया (अनुलग्नक–7) और उसके कनिष्ठ व्यक्तियों को अपीलार्थी से पहले पदोन्नत किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि वर्ष 2011–12 या 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध अध्यापक ग्रेड–ाा के पद पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी के मामले पर विचार किया जावे। अपीलार्थी के पदोन्नति आदेश उसी तारीख से जारी करें जिस दिन से उसके कनिष्ठों को सभी परिणामी लाभों के साथ पदोन्नत किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी योग्यता अभिवृद्धि (बी.ए., बीएड) का इन्द्राज मण्डल वरिष्ठता में वर्ष 2015 में कराया गया था इसलिए वर्ष 2011–12 में योग्यता का इन्द्राज नही होने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 2011–12 की पदोन्नति में शामिल नही किया गया। योग्यता अभिवृद्धि के आदेश दिनांक 15.07.2015 अनुलग्नक/आर–1 पर उपलब्ध है। वर्ष 2015 से पूर्व योग्यता अभिवृद्धि का इन्द्राज कराने का दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी के द्वारा योग्यता अभिवृद्धि (बी.ए., बीएड) का इन्द्राज आदेश दिनांक 15.07.2015 में कराया गया है। इस कारण अपीलार्थी को वर्ष 2015 से पूर्व पदोन्नति की प्रकिया में शामिल नहीं किया गया है। शब्बीर खांन का वरिष्ठता क्रमांक 6751 वर्ष 1971– मार्च 1997 है जबकि अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 14 अप्रेल 1997 से दिसम्बर 1997 है। अपीलार्थी, श्री शब्बीर खांन से वरिष्ठता में कनिष्ठतम है। अपीलार्थी की योग्यता अभिवृद्धि वरिष्ठता में वर्ष 2015 में दर्ज होने के पश्चात् ही उस समय पर वर्ष 2014–15 में नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया गया है। प्रत्यर्थी का मण्डल वरिष्ठता क्रमांक 6751/1971–97 है जो कि अपीलार्थी से वरिष्ठतम है एवं अनिल कुमार का वरिष्ठता कमांक 19/1998–04 है, श्री अनिल कुमार की योग्यता (बी.ए. एवं बीएड) वरिष्ठता में यथा समय से ही दर्ज है एवं अपीलार्थी के द्वारा अपनी योग्यता अभिवृद्धि बीए एवं बीएड दिनांक 15.07.1915 को दर्ज कराई गई थी, इस कारण अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ वर्ष 2014–15 में दे दिया गया क्योंकि उस समय तक 2014–15 की डीपीसी नहीं हुई थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी द्वारा योग्यता अभिवृद्धि बीए.बीएड का इन्द्राज कराने के बाद ही पात्रता वर्ष 2014–15 में पदोन्नति का लाभ नियमानुसार सही दे दिया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिनांक 10.02.1997 को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियुक्त हुआ

और उसने बी.ए. योग्यता वर्ष 2001 में स्नातकोत्तर की योग्यता वर्ष 2006 में अर्जित की तथा आदेश दिनांक 21.04.2016 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई। जहां तक वांछित योग्यता रखने के बावजूद अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2012–13 के बजाय डीपीसी वर्ष 2014–15 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा सेवा काल में अर्जित योग्यताओं के अंकन हेतु वर्ष 2015 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उसी आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यताओं को सेवाभिलेख में आदेश दिनांक 15.07.2015 द्वारा इन्द्राज कर दिया एवं अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में अध्यापक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा सेवा रिकार्ड में योग्यता अंकित करवाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत पत्र की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है उसमें मात्र बी.ए. की योग्यता दर्ज कराने हेतु निवेदन है इसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह विभाग को कब प्रस्तुत किया गया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यता अभिवृद्धि करवाने के संबंध में समय पर विभाग में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यताओं का सेवाभिलेख में अंकन करके प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उपलब्ध सेवाभिलेख/योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसमें हमें किसी प्रकार की नियम विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य